|| ओ३म् ||

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार–249404

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत समविष्वविद्यालय)

Gurukula Kangri (Deeemed to be University), Haridwar-249404

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

वित्त समिति की बैठक दिनांक 09.07.2026 की कार्यवाही

दिनांक : 09.07.2026
समय : प्रातः 11.30 बजे
स्थान : कुलपति कार्यालय
गुरुकुल कांगडी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार

उपस्थिति :–

1. प्रो0 प्रतिभा मेहता लूथरा, कुलपति/सभापति
2. श्री विनय आर्य, प्रायोजित संस्था के प्रतिनिधि/सदस्य
3. श्री विवेक कौशिक, शिक्षा मंत्रालय के नामित प्रतिनिधि द्वारा नामित सदस्य/सदस्य
4. श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी, प्रबन्ध मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधि/सदस्य
5. डा0 एस0 एम0 शर्मा, प्रबन्ध मण्डल के सदस्य/सदस्य
6. प्रो0 सत्यदेव निगमालंकार, कुलसचिव/विशेष आमंत्रित सदस्य
7. प्रो0 वी0 के0 सिंह, वित्ताधिकारी/सचिव, वित्त समिति

ईश वन्दना के उपरान्त सभापति महोदया की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव संख्या–01 : वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 28.05.2026 में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट

वित्त समिति गत बैठक दिनांक 28.05.2026 को गुरुकुल कुरुक्षेत्र में आहूत की गई थी जिसकी Action Taken Report निम्न तालिका के अनुसार अंकित है :–

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव	बैठक में लिये गये निर्णय	की गई कार्यवाही	Remark
प्रस्ताव सं0–01	समविश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026–2027 में अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों को दिये जाने वाले बजट के सन्दर्भ में।	अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत दिये जाने वाले बजट के सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त कहा गया कि गत दो वर्षो का बजट तथा गत दो वर्षो का व्यय तालिका में होना चाहिये इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में छात्रों की संख्या तथा शिक्षकों की संख्या भी तालिका में अंकित होनी आवश्यक है ताकि विभाग की आवश्यकता के अनुसार ही बजट का आवंटन किया जा सके। इस सन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि डा0 एस0एम0 शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें श्री विनय आर्य, श्री वी. सरदाना, श्री राजीव तलवार सदस्य एवं श्री वी. के. सिह सयोजक होगें। गठित समिति इसका पुनः निरीक्षण कर 15 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट	इस प्रस्ताव को पुनः इस बैठक में रखा जा रहा है।	दिनांक 09.07. 2026 की वित्त समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या –03 के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया।

14/07/26

		प्रस्तुत करे, ताकि विभागीय बजट का आवंटन किया जा सके।		
प्रस्ताव सं0–02	समविश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026–2027 में स्व–वित्त पोषित वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों को दिये जाने वाले बजट के सन्दर्भ में।	स्व–वित्त पोषित वर्ग के अन्तर्गत दिये जाने वाले बजट के सम्बन्ध में चर्चा के उपरान्त कहा गया कि गत दो वर्षों का बजट तथा गत दो वर्षों का व्यय तालिका में होना चाहिये इसके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में छात्रों की संख्या तथा शिक्षकों की संख्या भी तालिका में अंकित होनी आवश्यक है ताकि विभाग की आवश्यकता के अनुसार ही बजट का आवंटन किया जा सके। इस सन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया कि डा0 एस0एम0 शर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें श्री विनय आर्य, श्री वी. सरदाना, श्री राजीव तलवार सदस्य एवं श्री वी. के. सिह सयोजक होगें। गठित समिति इसका पुनः निरीक्षण कर 15 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, ताकि विभागीय बजट का आवंटन किया जा सके।	इस प्रस्ताव को पुनः इस बैठक में रखा जा रहा है।	दिनांक 09.07. 2026 की वित्त समिति की बैठक के प्रस्ताव संख्या –02 के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया।
प्रस्ताव सं0–03	समविश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां दिये जाने के सन्दर्भ में विचार। 1. प्रोफेसर इंचार्ज / ट्रेनिग एवम् प्लेसमेट आफिसर – 10,000 2. प्रो0 इन्चार्ज –सीनेट हाल – 10,000 3. मुख्य हास्टल वार्डन – 15,000 4. परीक्षा नियंत्रक – 15,000 5. मुख्य प्रोजेक्ट गणवेषक – 10,000	इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में यह भी अंकित किया गया कि– 1. उपरोक्त वित्तीय शक्तियों का एक बार उपयोग करने पर अगली वित्तीय शक्तियों का प्रयोग तब ही किया जायेगा जब कि पूर्व बिल पारित हो जाये। 2. इसी प्रकार पूर्व वित्त समिति में पारित वित्तीय शक्तियों के प्रस्ताव पर भी यह नियम लागू होगा। वित्त समिति में इस प्रस्ताव को रखा गया तथा सभी सदस्यों ने उपरोक्तानुसार इस प्रस्ताव को पारित किया।	इस पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 16.06. 2026 को कार्यालय सूचना के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया गया है।	✓
प्रस्ताव सं0–04	समविश्वविद्यालय में दो नई बस कय किये जाने के सम्बन्ध में।	इस प्रस्ताव के सन्दर्भ में श्री विनय आर्य जी ने कहा कि नई बस कय किये जाने के स्थान पर किराये पर बस को लिया जाना उचित होगा। इस सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि बस को आउटसोर्स के माध्यम से लिये जाने के लिये विभिन्न फर्मो से कोटेशन ली जाये तथा इसी प्रकार जैम के माध्यम से भी कोटेशन प्राप्त करने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया जायेगा। उपरोक्त कार्यो को 15 दिन के अन्दर पूर्ण करने पर सहमति व्यक्त की गई। (FET, Boys Section)	इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।	
प्रस्ताव सं0–05	अन्य प्रस्ताव	5.1 : समविश्वविद्यालय में बाहर से आने वाले विद्वानों/परीक्षकों/ पर्यवेक्षकों को अपनी कार से यात्रा करने पर रू 12/–	इस पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 16.06.	✓

		के स्थान पर रू 16/– प्रतिकिलोमीटर का भुगतान किये जाने की स्वीकृति सभी सदस्यों द्वारा प्रदान की गई।	2026 को कार्यालय सूचना के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया गया है।	
		5.2 : समविश्वविद्यालय में बाहर से आने वाले विद्वानों/परीक्षकों/ पर्यवेक्षकों को अपनी कार से यात्रा करने पर टोल–टैक्स अथवा (Annual Fastage based Pass) की प्रति यात्रा व्यय बिल के साथ लगानी आवश्यक होगी, अतः यह प्रस्ताव भी वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया गया।	इस पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 16.06. 2026 को कार्यालय सूचना के माध्यम से सभी को सूचित कर दिया गया है।	✓
		5.3 : श्रम आयुक्त द्वारा प्राप्त पत्रों/वसूली नोटिस के सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि इसकी जांच के लिये प्रस्ताव 01 एवं 02 में गठित समिति उक्त प्रकरण में निर्णय लेगी, ताकि गठित समिति का निर्णय वित्त समिति में आ सके।	श्रम आयुक्त/ वसूली नोटिस पत्र के सम्बन्ध में गठित समिति में निर्णय लिया गया कि मान्या कुलपति महोदया वरिष्ठ अधिवक्ता से वार्ता कर इस सम्बन्ध में निर्णय ले।	इस सम्बन्ध में अधिवक्ता को नियुक्त कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में मांगी गई फीस रू 1,50,000/– के सापेक्ष रू 75000/– का भुगतान कर दिया गया है ताकि अधिवक्ता आगे की कार्यवाही कर सके।

अतः उपरोक्तानुसार वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 28.05.2026 की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–02</u> : <u>वित्तीय वर्ष 2026–2027 में समविश्वविद्यालय की आन्तरिक प्राप्तियों से स्व–वित्त पोषित वर्ग में समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को दिये जाने वाले बजट के सन्दर्भ में।</u>

स्व–वित्त पोषित वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त बजट के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि सभी विभागों से स्व–वित्त पोषित वर्ग में रू 3,96,96,500.00 की राशि की मांग विभिन्न विभागों द्वारा की गई थी। इस मांग के अन्तर्गत वित्त समिति के समक्ष रू 2,76,71,500.00 के कुल बजट की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा उपरोक्त बजट को स्वीकृत किया गया। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

<u>प्रस्ताव संख्या–03 : वित्तीय वर्ष 2026–2027 में समविश्वविद्यालय की आन्तरिक प्राप्तियों से अनुरक्षण वर्ग में समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों को दिये जाने वाले बजट के सन्दर्भ में।</u>

अनुरक्षण वर्ग के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त बजट के सन्दर्भ में अवगत कराया गया कि सभी विभागों से अनुरक्षण वर्ग में रू 5,99,92,000.00 की राशि की मांग विभिन्न विभागों द्वारा की गई थी। इस मांग के अन्तर्गत वित्त समिति के समक्ष रू 5,50,00,000.00 के कुल बजट की स्वीकृति

हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा उपरोक्त बजट को स्वीकृत किया गया। अतः प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव संख्या–04 : समविश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2025–2026 के वार्षिक लेखों की स्वीकृति हेतु।

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के वार्षिक लेखों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये प्रारूप में बना दिया गया है, जिसको वित्त समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी जी ने अवगत कराया कि इस बैलेंस सीट को चार्टेड एकाउन्टेन्ट ने बनाया होगा अतः उसके हस्ताक्षर भी इस बैलेंस सीट पर आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि भारतीय लेखा परीक्षा के समक्ष इस बैलेंस सीट को आडिट हेतु भेजा जाता है जो कि उनके निर्देशानुसार सी.ए. के हस्ताक्षर नही होते है। अतः इस बैलेंस सीट पर कुलसचिव, वित्ताधिकारी एवं कुलपति महोदया के हस्ताक्षर कराये गये। हस्ताक्षर के उपरान्त इन वार्षिक लेखों को स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या–05 : अन्य प्रस्ताव।

5.1 : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 18.06.2026 के कमांक 01 से 07 तक के निर्णयों की कार्यवाही की सम्पुष्टि।

उपरोक्त भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 18.06.2026 की कार्यवाही को वित्त समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।

5.2 : समविश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुदान एवं स्व–वित्त पोषित वर्ग में कार्यरत नियमित कर्मचारी तथा पेंशनरों को जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की दरों को दिये जाने के सन्दर्भ में।

उपरोक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में वित्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा कहा गया कि यह विषय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है जिसके आदेश का पालन समविश्वविद्यालय को करना है। अतः शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि श्री विवेक जी से इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने के लिये अनुरोध किया गया तथा श्री विवेक जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में वे अग्रिम कार्यवाही कर सूचित करेगें।

शान्तिपाठ के साथ बैठक समाप्त की गई।

14/07/26

(प्रो0 वी.के. सिंह)
वित्ताधिकारी एवं सचिव, वित्त समिति